5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

(14)

स्टाम्प अपील प्रकरण क्र. ...

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर बैंच, इन्दौर के समक्ष

अ-7264-PBR/16

श्री हकीमुद्दीन ताम्बावाला पिता श्री मुल्ला इस्माईल ताम्बावाला,
निवासी-बुरहानी मोहल्ला, इमामबाड़ा, रतलाम (म.प्र.) **...आवेदक/अपीलार्थी**

विरुद्ध

(1) श्रीमान कलेक्टर ऑफ स्टॉम्पस इन्दौर
(2) श्री मूलचन्द पिता श्री परसराम सचदेव,
निवासी-103, साहील रीजेन्सी, 19, बैराठी कॉलोनी, इन्दौर **...रिस्पान्डेन्ट्स**

निगरानी/अपील आवेदन-पत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47(क)(1), की उपधारा 4 एवं 48 (ख) में पारित शास्ति के विरूद्ध प्रस्तुत

(1)	अपीलान्ट का पूरा नाम व पता	: **श्री हकीमुद्दीन ताम्बावाला पिता श्री मुल्ला इस्माईल ताम्बावाला,** निवासी-बुरहानी मोहल्ला, इमामबाड़ा, रतलाम
(2)	लिखत का निष्पादन करने वाले	: **श्री मूलचन्द पिता श्री परसराम सचदेव,** निवासी-103, साहील रीजेन्सी, 19, बैराठी कॉलोनी, इन्दौर
(3)	लिखत के अधीन दावा करने वाले	: **श्री हकीमुद्दीन ताम्बावाला पिता श्री मुल्ला इस्माईल ताम्बावाला,** निवासी-बुरहानी मोहल्ला, इमामबाड़ा, रतलाम
(4)	लिखत की तारीख व उसका प्रकार	: दिनांक 30.12.2011, ''विक्रय-पत्र''
(5)	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक, तारीख तथा उस कार्यालय का नाम जहाँ लिखत का रजिस्ट्रीकरण किया गया है	: 1-अ/1611(10)/2011, दिनांक 30.12.2011 उप-पंजीयक कार्यालय, इन्दौर
(6)	कलेक्टर के उस आदेश का, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, क्रमांक दिनांक तथा तारीख	: प्रकरण क्रमांक 586-बी/105/2011-12 दिनांक 23.08.2014
(7)	तहसील व रजिस्ट्रीकरण उप-ज़िले का नाम सहित उस नगर व ग्राम का जहाँ सम्पत्ति स्थित है ।	: मकान नम्बर-53 (नया-476), जवाहर मार्ग, इन्दौर
(8)	सम्पत्ति का मूल्य जैसा कि लिखत में उल्लेखित है ।	: रुपये 52,53,000/-

98260-17472

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री अशरदीप गुप्ता
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 01-12-2016 को प्रस्तुत।
831
01-12-2016
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

Cf 18.1.17

...2

(9) सम्पत्ति का बाजार मूल्य जैसा कि कलेक्टर द्वारा अवधारित किया गया है । : रुपये 52,53,000/-

श्रीमान् कलेक्टर आफ स्टाम्पस् जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक प्रकरण क्रमांक 586/बी-105/11-12/47 क (3) एवं 48 (ख) में दिनांक 23.08.2014 को पारित आदेश के द्वारा सम्पत्ति का बाज़ार मूल्य त्रुटिपूर्ण गणना पर से अवैधानिक रूप से अत्यधिक किया गया तथा शास्ति भी धारा 48(ख) से पठित धारा 40 (1) से असंतुष्ट होकर यह आवेदन-पत्र/अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

यह कि, अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किये गये आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त की तथा नकल प्राप्त होते ही यह निगरानी/अपील आवेदन-पत्र प्रस्तुत है :-

FOR COPYING FEES ONLY

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 7264–पीबीआर/2016 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–8–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दिनांक 1–12–16 को लगभग दो वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया विलम्ब का कारण कि उसे आदेश की जानकारी नहीं होना बताया है, जबकि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें विधिवत् नोटिस तामील हुआ था तथा आदेश की सूचना भी प्रेषित की गई थी । इसलिये विलम्ब का कारण सद्भाविक मान्य नहीं किया जा सकता है । अतः यह अपील समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	